जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांकः–जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 6585 / 2024 दिनांकः 09 जुलाई, 2024

सेवा में,

प्राचार्य / प्रचार्या / प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय : बी0एड0 चतुर्थ सेमेस्टर सत्र 2023–24 अनिवार्य पाठ्यक्रम–स्काउट / गाइड एवं योगा प्रशिक्षण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

आप इस तथ्य से अवगत हैं कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध बी0एड0 महाविद्यालयों में स्काउट / गाइड एवं योगा प्रशिक्षण, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सम्पन्न होना है। अतः सभी महाविद्यालयों के लिये प्रशिक्षण से सम्बन्धित अधोलिखित दिशा–निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है:–

1. प्रशिक्षण के लिये पत्र प्रेषित करने से पूर्व प्रशिक्षुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। प्रशिक्षण अवधि में यदि कोई प्रशिक्षु अनुपस्थित रहता है, तो इसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित महाविद्यालय की होगी।
2. प्रशिक्षकों की उपलब्धता के आधार पर महाविद्यालयों को उनकी माँग के अनुरूप प्रशिक्षक उपलब्ध कराये जायेंगे। विशेष परिस्थिति में प्रशिक्षक उपलब्ध न होने की स्थिति में महाविद्यालय की सहमति से तिथि में आंशिक संशोधन किया जा सकता है।
3. योगा प्रशिक्षण प्रातः 07.30 से तथा स्काउट / गाइड प्रशिक्षण 10.30 से प्रारम्भ होगा। प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व सभी प्रशिक्षुओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
4. प्रशिक्षक, प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के तत्काल बाद प्रशिक्षुओं की उपस्थिति निर्धारित प्रपत्र पर अंकित करायेगें तथा स्वयं के एवं महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर के साथ यथाशीघ्र विश्वविद्यालय को पी0डी0एफ0 बना कर प्रेषित करेंगे। प्रशिक्षण अवधि में उपस्थिति प्रेषित नहीं करने की स्थिति में उस तिथि का प्रशिक्षण अमान्य होगा। प्रशिक्षकों द्वारा प्रेषित उपस्थिति शिविर निरीक्षण के समय प्रमाणित करना अनिवार्य होगा। यदि इसमें किसी प्रकार की अनियमितता प्राप्त होगी तो प्रशिक्षक को भविष्य के प्रशिक्षण के लिये प्रतिबंधित किया जा सकता है।
5. प्रशिक्षकों को मानदेय का भुगतान महाविद्यालय द्वारा पूर्व निर्धारित दरों से शिविर समाप्ति के तत्काल बाद करना अनिवार्य होगा।
6. शिविर समाप्ति के तत्काल बाद महाविद्यालय शिविर आख्या के साथ प्रशिक्षण प्राप्त किये प्रशिक्षुओं की सूची यथाशीघ्र विश्वविद्यालय को प्रेषित करेगें। सूची के साथ उपस्थिति पत्रक भी संलग्न करना होगा, जिस पर प्रशिक्षक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से होना चाहिये। आख्या प्राप्त होने के पश्चात् ही सम्बन्धित महाविद्यालय के अभ्यर्थियों के परीक्षाफल के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय किया जायेगा।
7. प्रमाण–पत्र शुल्क जमा करने के लिये अलग से सूचना प्रेषित की जायेगी।
8. सभी महाविद्यालय यथाशीघ्र अपने रोवर्स / रेन्जर्स का इकाईवार पंजीकरण / नवीनीकरण करा लें। पंजीकरण / नवीनीकरण के अभाव में बी0एड0 स्काउट / गाइड प्रशिक्षण विधिमान्य नहीं होगा और न ही प्रदेश संस्था द्वारा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

09.7.24

मुख्यायुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट / गाइड
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया

कुलसचिव / सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट / गाइड
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय
बलिया